न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर

(पीठासीन अधिकारी हनुमाना राम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः– **03 / 2019**

प्रार्थीगण

1. तुलसाराम पुत्र मूला
2. धनाराम पुत्र मूला
3. तगाराम पुत्र मूला
4. नरसी पुत्र प्रेमाराम
5. श्रवण पुत्र प्रेमाराम
6. जेठी बैवा प्रेमाराम
   जातियान माली निवासीगण सुराचंद
   तहसील चितलवाना जिला सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. लक्ष्मणा पुत्र महादेवा फौत के का.मु.
   अ चैनाराम पुत्र लक्ष्मणा
   ब मांगाराम पुत्र लक्ष्मणा
   स मगाराम पुत्र लक्ष्मणा
   द मोटाराम पुत्र लक्ष्मणा
2. मांगाराम पुत्र लक्ष्मणा जाति माली
   निवासी सुराचंद
3. मालाराम पुत्र देराजराम
4. बाबुलाल पुत्र करनाराम जाति जाट
   निवासी निम्बज
5. हमीरा पुत्र वजाराम
6. धना पुत्र वजाराम जाति रेबारी
   निवासी टांपी
7. भेरा पुत्र पुनमाराम जाति जा
   निवासी टांपी तहसील चितलवाना
8. व्यवस्थापक एसबीआई बैंक शाखा
   चितलवाना
9. तहसीलदार चितलवाना
10. अधिशाषी अभियन्ता भीमगुड़ा
    वितरीका नर्मदा नहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः:–

1. श्री जालाराम पुनिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री बाबुसिंह चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 की ओर से श्री हापूराम विश्नोई।
4. अप्रार्थी संख्या 2 व 8 ता 10 एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक 20/09/2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपाठित धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा सुराचंद, पटवार हल्का सुराचंद में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकुक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर [illegible] 0.05 हैक्टर खसरा नम्बर 553 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 555 [illegible] 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 556 रकवा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.03 [illegible] 558 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 559 रकबा 16.19 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.50 हैक्टर, [illegible] बा 17.90 हैक्टर इसी प्रकार ग्राम टांपी के खसरा नम्बर 842 रकबा 0.37 हैक्टर व ग्राम निम्बज के खसरा नम्बर 386 रकबा 2.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 388/787 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 463/786 रकबा 0.17 हैक्टर के आये हुए है। उरोक्त अराजी का प्रार्थीगण सदैव लगान अदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

करते आ रहे है तथा गिरदावरी भी प्रार्थीगण के नाम तज्वीज होती आ रही है। प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त के उक्त खेत नक्शे मे अलग तरमीमसुदा आये हुए है। लेकिन उक्त खेतो की माठ को अप्रार्थीगण अपने खेत मे मिलाने की चेष्टा करते रहते है। उक्त खेत की माठ पर वर्षो पुराने खड़े दरखत बबुल व थोर की माठ को काटकर माठ को तोड़ते रहते है तथा जबरन हमारे खेतो को हड़पना चाहते है। अप्रार्थीगण आये दिन उक्त माठ को लेकर टंटा फसाद करने को उतारू रहते है। जिससे अप्रार्थीगण के झगड़े–टंटे का सामना नही कर सकते। इस हेतु प्रार्थीगण ने गांव के मौजूज पंच मुखियानों को इकट्ठा कर पंच–पंचायती भी करवाई, तथा खेतो का दिनांक 04.06.2018 को पैमाईश करवायी। लेकिन अप्रार्थीगण नही माने तथा अपनी बेजा हरकतो से बाज नही आ रहे है तथा मौका पाकर आये दिन प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत की माठ तोड़कर सीमाए नष्ट करते रहते है। इसका स्थाई हल मात्र खेतो की स्थायी नेखबन्दी, पत्थर चीणे, दीवार आदि बनाकर ही हो सकता है अन्य कोई विकल्प नही होने की सूरत मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्ण कब्जा है। लेकिन अप्रार्थीगण हमारे उक्त कब्जे मे जबरन प्रवेश कर अन्दर घुसना चाहते है तथा पनी मनमर्जी अनुसार सीमा तय करते है। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर नही मानकर अप्रार्थीगण ने झगड़–टंटा करने पर उतारू रहते है तथा अप्रार्थीगण ऐलानिया धमकिया देते है कि हम आपको जबरन खेत के कब्जे से बेदखल कर देगे। प्रार्थीगण के वर्षो पुरानी माठ को तोड़ते रहते है। जिससे हमे हैरान–परेशान कर रखा है। इसलिए प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बरान का प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व नक्शे मे तरमीम अनुसार खेतो की चारो ओर स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थरगड्डी चीणों से करने का आदेश तहसीलदार चितलवाना के नाम जारी फरमावे तथा आवश्यकतानुसार समुचित पुलिस इमदाद भी पुलिस थाना सरवाना से दिलायी जाकर उक्त खेत की सीमा की स्थायी नेखमबन्दी करवाये जाने का आदेश फरमावे। तथा तीनो गावों की भूमि एक ही चक मे होने तथा तीनो गावो की सीमा लगने से नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 को नोटिस तामिल होने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए उनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 8 ता 10 को नोटिस तामिल के बावजूद उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। एवं अप्रार्थी संख्या 1 लक्ष्मणा पुत्र महादेवा फौत के कायम मुकामो के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.10.[illegible] जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 559 रकबा 16.19 हैक्टर [illegible] भूमि नर्मदा नहर मे अवाप्त हुई है। अपने खेत की माठे पुरानी यथावत है [illegible] कोई समस्या नही है। प्रार्थीगण का गलत इरादा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को नहर से प्राप्त रास्ता को अवरूद्व कर रास्ता रोक कर मजबूर करना चाहता है। जबकि खातेदारी खेत खसरा संख्या 563 रकबा 7.40 हैक्टर मे से 0.12 हैक्टर भूमि नर्मदा नहर मे आई हुई थी इससे जाहिर है। फिर भी प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

का रास्ता रोकना चाहता है तथा नर्मदा नहर मे अवाप्त भूमि पर अतिक्रमण कर हमारा रास्ता अवरूद्व करना चाहा वहा निर्माण करना चाहा जबकि यह जबकि इस भूमि का प्रार्थीगण के कहे अनुसार दिनांक 4.6.2018 को कोई पैमाईश नही हुई है। अप्रार्थीगण जहा पूर्व से काबिज है वही वर्तमान मे काबिज है। तथा हमारे व प्रार्थीगण के मध्य मजबूत माठ आज भी कायम है। नर्मदा नहर ने प्रार्थीगण की कुछ ज्यादा भूमि अवाप्त हुई है अप्रार्थीगण की 0.012 हैक्टर भूमि नर्मदा मे अवाप्त जो मात्र नर्मदा नहर से जुड़ाव मात्र है। इसलिए प्रार्थीगण ने गलत इरादा से हमारा रास्ता रोकना चाहा है। तथा जहां प्रार्थीगण के बेदखल करने का प्रशन है। सरासर निराधार व झुठे कथम है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिना पैमाईश रिपोर्ट का अपोषित है। तथा प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे गलत कथन कर नहर से हमारे खातेदारी का खेत जुड़ा नही है व हमारी खातेदारी मे से भूमि 0.012 हैक्टर अवापत हुई है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार व बेबुनियाद व तथ्य से परे होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शा में तरमीम अनुसार संयुक्त पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सीमांकन एवं पत्थरगढी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपराक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सुराचंद, पटवार हल्का सुराचंद में प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकुक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 552 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 559 रकबा 16.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 1.50 हैक्टर, कुल रकबा 17.90 हैक्टर इसी प्रकार ग्राम टांपी के खसरा नम्बर 842 रकबा 0.37 हैक्टर व ग्राम निम्बज के खसरा नम्बर 386 रकबा 2.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 388/787 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 463/786 रकबा 0.17 हैक्टर पर तहसीलदार चितलवाना मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार पुलिस इमदाद की मदद लेना सुनिश्चित् करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी [illegible]कार खर्चा अपना–अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 20/09/2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हनुमाना राम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)